न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 39/2018 भगवान बगडू के का0मु0 व अन्य बनाम राज0 सरकार
जरिये तहसीलदार बावडी वगैरा

दिनांक 06.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बावडी(जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 व 136 के तहत पारित आदेश कमांक राजस्व /2017/812 दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 पत्र श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलाट एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित, शेष अनुपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स का मुख्यतः यह कथन है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील बावडी के ग्राम मगरा नगर के खसरा नं0 103, 105, 116/1 की कुल रकबा भूमि मे से 04.06 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। उक्त भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 3 से 10 की कब्जा काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमे आवागमन हेतु किसी प्रकार का रास्ता चालू नही है और न ही किसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स एवं अन्य खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया और न ही प्रकरण में कोई विधिक प्रकिया अपनाई गई। उक्त प्रस्ताव तहसीलदार बावडी द्वारा दिनांक 28.12.17 को प्रेषित किया तथा दिनांक 29.12.17 को तहसीलदार बावडी द्वारा ही, जिनके पास उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का भी चार्ज था, बहसैसियत उपखण्ड अधिकारी एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जबकि स्वयं आवेदनकर्ता तहसीलदार को उक्त आदेश करने का कोई अधिकार नही था। उक्त आदेश बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये, बिना संबंधित खातेदारों की सुनवाई एवं बिना विधिक तथ्यों की जांच किए जल्दबाजी में विधिविरूद्ध पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि उक्त आवेदन 'रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016' के तहत सरपंच ग्रा0पं0 खिन्दाकौर के प्रस्ताव दिनांक 2.6.17 एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते के संबंध में प्रेषित किया गया। जिसमें तहसीलदार बावडी द्वारा बहैसियत उपखण्ड अधिकारी वर्ष 2017 में न्यायहित मे आदेश पारित किया गया है। अतः अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड पर का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी सहमती ली गई। स्वयं आवेदक–तहशीलदार बावड़ी द्वारा ही बहैसियत उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश पारित कर दिया गया, जो एकतरफा आदेश की श्रेणी में है, जिसे न्यायहित में विधिसम्मत नही कहा जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक: राजस्व/2017/812 दिनांक 29.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, मौके पर यदि रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय सत्यप्रति से सूचित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर